न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार , आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 31/19

1. अर्षप्रीत उम्र 25 साल पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी पक्का कालेवाला चक सोहलेवाला लाधूवाला उत्तर फाजिल्का जलालाबाद पंजाब।
2. गुरविन्द्र सिंह उम्र 33 साल पुत्र श्री सुखपाल सिंह जाति जटसिख साकिन 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी पक्का कालेवाला जलालाबाद (आर) फाजिल्का जलालाबाद (डब्ल्यू) पंजाब।
3. जयपाल सिंह उम्र 59 साल पुत्र श्री बलवन्तसिंह जाति जटसिख साकिन 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी पक्का कालेवाला चक सोहलेवाला लाधूवाला उत्तर फाजिल्का पंजाब।
4. जसवीर सिंह उम्र 51 साल पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख साकिन 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी पक्का कालेवाला चक सोहलेवाला लाधूवाला उत्तर फाजिल्का पंजाब।

–वादीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. छिन्द्रपाल कौर पत्नी सुखपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी पक्का कालेवाला चक सोहलेवाला लाधूवाला उत्तर फाजिल्का पंजाब।
3. निन्द्रपाल कौर उर्फ नरिन्द्र कौर पत्नी राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी पक्का कालेवाला चक सोहलेवाला लाधूवाला उत्तर फाजिल्का पंजाब।
4. बलराज सिंह पुत्र जयपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी वार्ड नं. 8 गजसिंहपुर तहसील पदमपुर।
5. बलवन्त सिंह पुत्र करतार सिंह जाति जटसिख निवासी 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर हाल निवासी 18 धानमण्डी नजदीक ओबीसी बैंक वार्ड नं. 13 गजसिंहपुर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 53, 209 राज.काश्त.अधि.

उपस्थिति :–

1.श्री मनिन्द्र कुमार वकील वादीगण
2. श्री सोहन लाल वर्मा वकील प्रतिवादीगण

–:निर्णय:–

दिनांक:– 19.08.2019

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण अर्षप्रीत पुत्र श्री राजेन्द्र सिंह जाति जटसिख ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 53, 209 प्रतिवादीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया कि चक 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 5/4 मु.नं. 39 पं.नं. 249/229 में 1.518 है0 नहरी भूमि व मु.नं. 60 पं.नं. 249/232 में 1.581 है0 नहरी कुल 3.099 है0 नहरी भूमि वादी सं. 1 अर्षप्रीत के नाम से है तथा वादी सं. 2 गुरविन्द्र सिंह के नाम से इसी चक 5 एफ.डी. के खाता सं. 21/17 मु.नं. 39 पं.नं. 249/229 में 0.949 है0 नहरी व मु.नं. 41 पं.नं. 247/229 में 0.633 है0 नहरी व मु.नं. 60 पं.नं. 249/232 में 1.581 है0 नहरी कुल 3.163 है0 नहरी भूमि व वादी सं. 3 जयपालसिंह के नाम से इसी चक के खाता सं. 25/37 मु.नं. 32 पं.नं. 249/228 में 6.200 है0 नहरी व मु.नं. 60 प.नं. 249/232 में 1.581 है0 नहरी कुल 7.781 है0 नहरी तथा वादी सं. 4 जसवीर सिंह के नाम से इसी चक का खाता सं. 28/24 मु.नं. 22 पं.नं. 252/227 में 0.759 है0 नहरी व मु.नं. 39 पं.नं. 249/229 में 3.227 है0 नहरी मु.नं. 60 पं.नं. 249/232 में 1.581 है0 नहरी कुल 5.568 है0

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

तथा प्रतिवादी सं 2 छिन्द्रपाल कौर के नाम से इसी चक के खाता सं. 23 मु.नं. 22 प.नं 252/227 में 1.012 है0 व मु.नं. 41 प.नं. 247/229 में 0.632 है0 नहरी कुल 1.644 है0 नहरी तथा प्रतिवादी सं. 3 निन्द्रपाल कौर के नाम से इसी चक के खाता सं. 37/33 मु.नं. 22 प.नं. 252/227 में 1.011 है0 नहरी भूमि व प्रतिवादी सं. 4 बलराज सिंह के नाम से इसी चक के खाता सं. 47/27 मु.नं. 17 प.नं. 243/226 में 0.292 है0 नहरी मयखाला व मु.नं. 27 प.नं. 247/227 में 1.265 है0 नहरी कुल 1.557 है0 नहरी मयखाला तथा प्रतिवादी सं. 5 बलवन्त सिंह के नाम से इसी चक के खाता सं. 48/18 मु.नं. 22 प.नं. 252/227 में 0.063 है0 नहरी व मु.नं. 55 प.नं. 247/231 में 3.162 है0 नहरी व मु.नं. 56 प.नं. 246/231 में 2.227 है0 मयखाला कुल 9.930 है0 नहरी मयखाला खातेदारी भूमि है। वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 2 ता 5 एक ही परिवार के सदस्य है तथा आपस में खून का रिश्ता है। जिस खुन के रिश्ते के कारण वादीगण तथा प्रतिवादीगण ने जिनमें प्रतिवादीगण ने अपने हिस्सा को वादीगण के नाम हक परित्याग कर दिया है के अनुसार काफी अरसा से इस भूमि का विभाजन कर लिया था। जिस पर आपसी विभाजन के अनुसार उक्त भूमि वादीगण को बंटवारा में मिली तथ कुछ भूमि प्रतिवादी बलराज सिंह के हिस्सा में आई जिस वाहमी बंटवारा के अनुसार उक्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण बलराज सिंह काश्त कर रहे है। उक्त भूमि में आपसी घरेलू बंटवारा पक्षकारान का निम्न प्रकार से है :–

वादी सं. 1 अर्षप्रीत सिंह के पास चक 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 60 पं.नं. 249/232 में 6.325 है0 व मु.नं. 43 पं.नं. 246/230 में 0.633 है0 व मु.नं. 17 प.नं. 248/226 में 0.292 है0 व मु.नं. 56 प.नं. 246/231 में कि.नं. 1/2 में 0.126, 2 ता 5 प्रत्येक में 0.253 है0 कुल 1.138 है0 कुल तादादी 8.388 है0 नहरी भूमि।

वादी सं. 2 गुरविन्द्र सिंह के पास चक 5 एफ.डी. के मु.नं. 39 प.नं. 249/229 में 6.200 है0 नहरी व मु.नं. 56 प.नं. 246/231 के कि.नं. 6 ता 9 सालम–सालम व 1 में 0.127 है0 व मु.नं. 55 प.नं. 247/231 के कि.नं. 21 ता 24 सालम–सालम कुल तादादी 8.351 है0 नहरी भूमि।

वादी सं. 3 जयपाल सिंह के नाक चक 5 एफ.डी. के मु.नं. 32 प.नं. 249/228 में कि.नं. 1 ता 20 का 4.960 है0 नहरी व मु.नं. 55 प.नं. 247/231 में कि.नं. 13/2 में 0.126, 14 ता 20 व 25 सालम–सालम कुल 7.110 है0 नहरी भूमि।

वादी सं. 4 जसवीर सिंह के पास चक 5 एफ.डी. के मु.नं. 41 प.नं. 247/229 में खाता सं. 48 की 3.795 है0 व खाता सं. 21 मु.नं. 41 की 0.633 है0 व खाता सं. 23 इसी मुरब्बा की 0.632 है0 तथा मु.नं. 22 प.नं. 252/227 में खाता सं. 32, 23, 28, 48 की 11–05 बीघा व मु.नं. 27 प.नं. 247/227 की 1.265 है0 खाता सं. 47 की 1.265 है0 कुल तादादी 9.171 है0 नहरी भूमि।

हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 बलराज सिंह के पास इसी चक 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 32 प.नं. 249/228 के कि.नं. 21 ता 25 में 1.240 है0 नहरी भूमि।

वादीगण ने अपने पारिवारिक भूमि का काफी अरसा से बंटवारा कर रखा है। जिस पर वे काबिज है। इसलिए वादीगण उक्त अपने–अपने हिस्सा व कब्जा काश्त की भूमि का अपने आपको खातेदार घोषित करवाने बाद घोषित किये जाने खातेदार उक्त भूमि को वादीगण अपने–अपने उक्त हिस्सा अनुसार बंटवारा करवाने के विधिक अधिकारी है। उक्त भूमि को वादीगण के नाम से उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही किया गया तथा अन्ततः दिनांक 18.03.2019 को वादीगण को माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने का आदेश दिया गया। इसलिए वादीगण को माननीय न्यायालय की शरण में आना पडा है। बस यही तारीख बिनाय मुखास्मत है। इसलिए माननीय न्यायालय को सुनवाई का क्षेत्राधिकार का है। लिहाजा वाद वादीगण प्रस्तुत कर अर्ज है कि वाद वादीगण निम्न प्रकार से फैसल एवं डिक्री फरमाया जावे कि चक 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर की उक्त भूमि यानि हिस्सा वादी सं. 1 अर्षप्रीत के पास 5 एफ.डी. के मु.नं. 60 पं.नं. 249/232 में 6.325 है0 व मु.नं. 43 पं.नं. 246/230 में

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

633 है0 व मु.नं. 17 प.नं. 248/226 में 0.292 है0 व मु.नं. 56 प.नं. 246/231 में कि.नं. 1/2 में 0.126, 2 ता 5 प्रत्येक में 0.253 है0 कुल 1.138 है0 कुल तादादी 8.388 है0 नहरी भूमि। वादी सं. 2 गुरविन्द्र सिंह के पास चक 5 एफ.डी. के मु.नं. 39 प.नं. 249/229 में 6.200 है0 नहरी व मु.नं. 56 प.नं. 246/231 के कि.नं. 6 ता 9 सालम–सालम व 1 में 0.127 है0 व मु.नं. 55 प.नं. 247/231 के कि.नं. 21 ता 24 सालम–सालम कुल तादादी 8.351 है0 नहरी भूमि। वादी सं. 3 जयपाल सिंह के नाक चक 5 एफ.डी. के मु.नं. 32 प.नं. 249/228 में कि.नं. 1 ता 20 का 4.960 है0 नहरी व मु.नं. 55 प.नं. 247/231 में कि.नं. 13/2 में 0.126, 14 ता 20 व 25 सालम–सालम कुल 7.110 है0 नहरी भूमि। वादी सं. 4 जसवीर सिंह के पास चक 5 एफ.डी. के मु.नं. 41 प.नं. 247/229 में खाता सं. 48 की 3.795 है0 व खाता सं. 21 मु.नं. 41 की 0.633 है0 व खाता सं. 23 इसी मुरब्बा की 0.632 है0 तथा मु.नं. 22 प.नं. 252/227 में खाता सं. 32, 23, 28, 48 की 11–05 बीघा व मु.नं. 27 प.नं. 247/227 की 1.265 है0 खाता सं. 47 की 1.265 है0 कुल तादादी 9.171 है0 नहरी भूमि। हिस्सा प्रतिवादी सं. 4 बलराज सिंह के पास इसी चक 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 32 प.नं. 249/228 के कि.नं. 21 ता 25 में 1.240 है0 नहरी भूमि में वादीगण व प्रतिवादी बलराजसिंह को उपरोक्तानुसार खातेदार घोषित किये जाने की डिक्री पारित करने हेतु निवेदन किया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 2 ता 5 जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण का वाद पत्र चाही गए अनुतोष अनुसार फैसल वा डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को आपत्ति एवं एतराज नही है। राजपैरोकार ने जवाब स्टेट पेश कर निवेदन किया कि वाद में संलग्न जमाबन्दी खाता सं. 25 में दावाधीन भूमि बैंक के रहन दर्ज है। परन्तु दावा में बैंक को पक्षकार नही बनाये जाने से दावा खारिज योग्य है। वकील वादी ने प्रतिवादीगण द्वारा किसी प्रकार का काउन्टर क्लेम पेश नही करने व सहमति का जवाब दावा पेश करने के कारण तनकियात कायम न कर सीधे बहस हेतु निवेदन किया। वकील उभयपक्ष साक्ष्य पेश करना नही चाहते है तथा पत्रावली में मौजूद दस्तावेजों के आधार पर बहस सुनकर निर्णय करने हेतु निवेदन किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए वाद में चाहे गये अनुतोष अनुसार वाद वादी डिक्री करने हेतु निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में पत्रावली में मौजूद समस्त दस्तावेजों को स्वीकार कर वाद वादी स्वीकार करते हुए वाद डिक्री करने हेतु निवेदन किया किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में अवलोकन किया। पत्रावली में प्रस्तुत घरेलू बंटवारनामा का अवलोकन किया। प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से अपने–अपने धृति का विभाजन कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराना चाहते है। चूंकि पक्षकारान रिकार्डेड खातेदार है। इसलिए वादीगण एवं प्रतिवादीगण खाता विभाजन कर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने का अधिकार रखते है। राजपैरोकार ने अपने जवाब में "वाद में संलग्न जमाबन्दी खाता सं. 25 में दावाधीन भूमि बैंक के रहन दर्ज है। परन्तु दावा में बैंक को पक्षकार नही बनाये जाने से दावा खारिज योग्य है" अंकित किया है। पत्रावली का अवलोकन किया। जमाबन्दी सम्वत् 2072–75 चक 5 एफ. डी.तहसील रायसिंहनगर खाता सं. 25/37 मु.नं. 32 पं.नं. 249/328 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 है0 नहरी, मु.नं. 60 पं.नं. 249/232 के कि.नं. 1 ता 7/1 की 1.581 है0 नहरी कुल 7.781 है0 नहरी भूमि जयपाल सिंह वल्द बलवन्त सिंह कौम जटसिख साकिन देह खातेदार राहिन एसबीबीजे शाखा गजसिंहपुर मुर्तहीन दर्ज है। ऐसे में जब तक भूमि रहनफक नही हो जाती तब तक राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का फेर बदल कर अन्य व्यक्ति को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। चूंकि वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपसी सहमति से अपने–अपने धृति का विभाजन कर खातेदारी अधिकारों की

(सन्दीप कुमार)
उप खण्ड अधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner

डिक्री कराना चाहते है। ऐसे में वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा उक्त तथ्यों एवं विवेचन एवं घरेलू बंटवारानामा तथा पक्षकारान के आपसी राजीनामा/सहमति के आधार पर वाद पत्र वादीगण स्वीकार किया जाकर वाद पत्र चक 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर खाता सं. 25/37 मु.नं. 32 पं.नं. 249/328 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 है0 नहरी, मु.नं. 60 पं.नं. 249/232 के कि.नं. 1 ता 7/1 की 1.581 है0 नहरी कुल 7.781 है0 नहरी भूमि का रहन फक इन्तकाल दर्ज हो जाने के पश्चात ही उक्त डिक्री की पालना तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर करें की शर्त पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:–

वादी सं. 1 अर्षप्रीत सिंह के पास चक 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 60 पं.नं. 249/232 में 6.325 है0 व मु.नं. 43 पं.नं. 246/230 में 0.633 है0 व मु.नं. 17 प.नं. 248/226 में 0.292 है0 व मु.नं. 56 प.नं. 246/231 में कि.नं. 1/2 में 0.126, 2 ता 5 प्रत्येक में 0.253 है0 कुल 1.138 है0 कुल तादादी 8.388 है0 नहरी भूमि।

वादी सं. 2 गुरविन्द्र सिंह के पास चक 5 एफ.डी. के मु.नं. 39 प.नं. 249/229 में 6.200 है0 नहरी व मु.नं. 56 प.नं. 246/231 के कि.नं. 6 ता 9 सालम–सालम व 1 में 0.127 है0 व मु.नं. 55 प.नं. 247/231 के कि.नं. 21 ता 24 सालम–सालम कुल तादादी 8.351 है0 नहरी भूमि।

वादी सं. 3 जयपाल सिंह के नाक चक 5 एफ.डी. के मु.नं. 32 प.नं. 249/228 में कि.नं. 1 ता 20 का 4.960 है0 नहरी व मु.नं. 55 प.नं. 247/231 में कि.नं. 13/2 में 0.126, 14 ता 20 व 25 सालम–सालम कुल 7.110 है0 नहरी भूमि।

वादी सं. 4 जसवीर सिंह के पास चक 5 एफ.डी. के मु.नं. 41 प.नं. 247/229 में खाता सं. 48 की 3.795 है0 व खाता सं. 21 मु.नं. 41 की 0.633 है0 व खाता सं. 23 इसी मुरब्बा की 0.632 है0 तथा मु.नं. 22 प.नं. 252/227 में खाता सं. 32, 23, 28, 48 की 11–05 बीघा व मु.नं. 27 प.नं. 247/227 की 1.265 है0 खाता सं. 47 की 1.265 है0 कुल तादादी 9.171 है0 नहरी भूमि।

प्रतिवादी सं. 4 बलराज सिंह के पास इसी चक 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर के मु.नं. 32 प.नं. 249/228 के कि.नं. 21 ता 25 में 1.240 है0 नहरी भूमि।

नोट:– चक 5 एफ.डी. तहसील रायसिंहनगर खाता सं. 25/37 मु.नं. 32 पं.नं. 249/328 के कि.नं. 1 ता 25 की 6.200 है0 नहरी, मु.नं. 60 पं.नं. 249/232 के कि.नं. 1 ता 7/1 की 1.581 है0 नहरी कुल 7.781 है0 नहरी भूमि का रहन फक इन्तकाल दर्ज हो जाने के पश्चात ही उक्त डिक्री की पालना तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर करें।

निर्णय आज दिनांक 19.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सन्दीप कुमार)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
रायसिंहनगर

Scanned by CamScanner